

मंत्रालयों/विभागों में कार्यरत "ग" और "घ" श्रेणी के अनुवादकों के पदों को राजभाषा सेवा में शामिल करना।

7660. श्री केशव राव पारधी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में कार्यरत "ग" और "घ" श्रेणी के अनुवादकों के पदों का राजभाषा सेवा में शामिल करने के सम्बन्ध में सितम्बर, 1981 में राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित की है, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या संवर्ग में कार्यरत "क" और "ख" श्रेणी के हिन्दी अधिकारियों आदि के पदों को भी राजभाषा सेवा में शामिल करने के लिए कोई अधिसूचना जारी की गई है और यदि नहीं, तो यह अधिसूचना कब तक जारी कर दी जाएगी; और

(ग) क्या इस संवर्ग में उन अनुवादकों को भी शामिल करने का विचार है जो 1977 से पहले नियमित आधार पर कार्यरत थे परन्तु जो अस्थाई थ और अब वे उचित माध्यम से अन्य कार्यालयों में चले गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी हाँ। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी अनुवादकों के पदों से सम्बन्धित नियम, नामतः केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह "ग" पद) नियम, 1981 "भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3(1) में सा० का० नि० 842 के अन्तर्गत 19-9-1981 को प्रकाशित कर दिए गए हैं।

(ख) जो नहीं। उक्त सेवा समूह "क" और "ख" में शामिल किए जाने वाले पदों के लिए नियमों का संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श अंतिम रूप दिया जा रहा है। अंतिम रूप के बाद उन्हें यथाशीघ्र प्रकाशित कर दिया जायेगा।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह "ग" पद) नियम, 1981 के नियम 2) (ग) के अनुसर ऐसे सभी अनुवादकों की सेवा में शामिल करने पर विचार किया जाएगा जो सेवा में सम्मिलित पदों पर 19-9-81 को कार्यरत थे या ऐसे किसी पद पर धारणाधिकार रखते थे।

SC/ST Grade I and Grade II Officers:

7661. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the representation of the S.C. and S.T. in Grade II and Grade I officers of the different Union Territories;

(b) whether in most of the cases the reservation quota for the S.C. and S.T. has not been filled up giving the gap with the Territory-wise break-up;

(c) whether this gap has increased in the last ten years and the vacancies are not carried forward; and

(d) if so, facts in details and steps taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBIAH) (a) to (d). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.